

**RAJASTHAN UNIVERSITY OF
VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER**

No. F. () RAJUVAS/COMP./2019

P.F. 1683

Dated:-

30/8/19

परिपत्र


प्रायः यह देखने में आया है कि विश्वविद्यालय में नियुक्त कार्मिकों एवं अधिकारियों जो कि दिनांक 01.01.2004 और इसके पश्चात् नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं। इनकी कटौतियाँ पी.एफ. पेटे हो रही हैं। सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नियुक्ति आदेशों में उल्लेखित अनुसार ही वेतन विपत्रों से कटौतियाँ करें।

यह परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

— ह. —
(मीना सोनगरा)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी.....
4. कोषाधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।


वित्तनियंत्रक